

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 26 / 2022

प्रार्थी-

1. रमजान खां पुत्र अलादीन खां
 2. जुम्मे खां पुत्र अलादीन खां
 3. इसाक खां पुत्र धोधे खां
 4. बचु खां पुत्र धोधे खां
 5. सफी खां पुत्र धोधे खां
 6. सुमार खां पुत्र धोधे खां
- जाति तेली मुसलमान निवासी
सेड़वा तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर

बनाग

अप्रार्थीगण-

1. ग्राम पंचायत सेड़वा जरिये सरपंच
ग्राम पंचायत सेड़वा जिला बाड़मेर
2. लाखा खां पुत्र श्री माहमद उर्फ
मोहम्मद
जाति तेली मुसलमान निवासी
सेड़वा तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम,
1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.06.2022 जो अप्रार्थी सं. 2 लाखा
खां पुत्र श्री माहमद उर्फ मोहम्मद के नाम अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत
सेड़वा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री हसन खान, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री बलवंत सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 18.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि
अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान
पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम सेड़वा में ग्राम
पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 34 दिनांक 20.06.2022 को
जारी किया गया। ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी
करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है।



किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा पट्टा सं. 34 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157ख के तहत जारी किया जाना लिखा है, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए, किन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों के रहवासी मकानात बने हुए थे एवं भूमि खाली नहीं थी। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आधार आवास होना बताया है जबकि मौके पर कोई आवास नहीं है। कुछ व्यक्तियों द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को हड़प करने की साजिश के तहत उक्त पट्टा जारी करवाया गया है। ग्राम पंचायत सेडवा के कार्यालय में उक्त पट्टा जारी करने से सम्बन्धित कोई अभिलेख मौजूद नहीं है तथा न ही उक्त पट्टा में भू-खण्ड में नाप एवं पड़ौस के नाम अंकित किए गए हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काबिल निरस्त है।

3. अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा आलौच्य पट्टे वाली भूमि सहित 40 गुणा 45 वर्गफुट का पट्टा सं. 34 दिनांक 20.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से जारी किया गया है, तत्समय पूरे भूखण्ड 40 गुणा 45 वर्गफुट पर अप्रार्थी संख्या 02 का स्वामित्व एवं आधिपत्य निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधि से आवेदन पेश किए जिसमें वादग्रस्त भू खण्ड का नाम पड़ौस अंकित किया गया है तथा पट्टे में भी नाप पड़ौस अंकित किए गए हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा शुरू से विधि संगत है तथा किसी भी प्रकार से शुन्य व निरस्त करने योग्य नहीं है। प्रार्थी का इस विवादित भूखण्ड में कोई विधिक हित-अधिकार नहीं है इस आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र में सर्वथा झूठे एवं कयासी कथन अंकित किये हैं तथा उल्लेख किया है कि विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा नियम 145 के तहत आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है एवं तत्पश्चात आवेदनकर्ता द्वारा उक्त नियम के तहत नक्शा फीस एवं मौका निरीक्षण फीस पंचायत के कोष कार्यालय में जमा करवाई जाती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 की पालना में मौका रिपोर्ट की जाती है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत में नियम 145 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं ग्राम पंचायत में उक्त शुल्क भी अदा किए गए। इस प्रकार प्रार्थी के कथन अप्रासंगिक एवं असम्बद्ध होना प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रकट तथ्यों के आधार पर पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम सेडवा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 34 दिनांक 20.06.2022 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त अभिलेख में आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक 20.06.2022 को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी का गठन कर मौका पर्चा बनाया गया जिसमें नाप एवं पडौस बताए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2022 को आपतियां आमंत्रित करने वास्ते नोटिस जारी किया। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कमेटी के समक्ष दिनांक 20.07.2022 में प्रस्ताव संख्या 02 में आवेदनकर्ता के नाम का उल्लेख के साथ पट्टा जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधिसम्मत एवं कार्यवाही पूर्णतः वैध तरीके से संपादित किया गया है। यदि प्रार्थी उक्त विवादित भू खण्ड में अपना हक स्वामित्व होना मानता है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।




अपर कोर्टवाड़ा बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी / 26 / 2022 / रमजान खां बनाम ग्राम पंचायत सोड़वा व अन्य

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत खारिज किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सोड़वा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 34 दिनांक 20.07.2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह चाँदावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
वाड़मेर

अपर कलक्टर वाड़मेर
(ए. डी. एम.)

